| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25/4/24 | पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की ओर से बहस प्रार्थना पत्र की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया के खातेदारी काश्त आराजी वाके ग्राम बावड़ीखेड़ा पटवार हल्का रानपुर में खसरा नं0 555 की 0.67 है0, खसरा नं0 556 की 0.16 है0, खसरा नं0 792/554 की 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शंभोबाई पुत्री पानाचंद दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थीया का नाम शम्भू पुत्री पानाचंद है। प्रार्थीया का नाम त्रुटिवश शंभो बाई दर्ज हो गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बावड़ीखेड़ा पटवार हल्का रानपुर में खसरा नं0 555 की 0.67 है0, खसरा नं0 556 की 0.16 है0, खसरा नं0 792/554 की 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में शम्भोबाई के स्थान पर शम्भोबाई उर्फ शम्भू दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।<br><br>प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।<br><br>प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि प्रार्थिया का राजस्व रिकॉर्ड में नाम नामा0 सं0 96 दिनांक 15.09.1998 से दर्ज किया गया। परन्तु प्रार्थी शंभोबाई पुत्री पानाचंद का वास्तविक नाम शम्भू बाई है। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों में भी शम्भूबाई दर्ज है।<br><br>बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।<br><br>उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शंभो बाई एवं शम्भू एक ही महिला के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम बावड़ीखेड़ा पटवार हल्का रानपुर में खसरा नं0 555 की 0.67 है0, खसरा नं0 556 की 0.16 है0, खसरा नं0 792/554 की 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में शम्भोबाई पुत्री पानाचंद के स्थान पर शम्भोबाई उर्फ शम्भू पुत्री पानाचंद दर्ज किया जावे।<br><br>उक्त निर्णय आज दिनांकः 25/4/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी कोटा<br><br>गजेन्द्र सिंह<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कोटा<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कोटा | |